रजिस्ट्री सं० डी० 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 184] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1972/श्रावण 28, 1894
No. 184] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1972/SRAVANA 28, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 19th August 1972

No. DRAWBACK/PN-67/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70—D B.K published in theGazett of India Extra Ordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK PN- dated the 15th October, 1971 with immediate effect:

1. (a) For Sub-Serial Nos. 2502, 2503, 2505, 2509 2510, 2511 and 2512 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
(1)	(2)	(3)
"2502	(A) Yarn of above 21 BWS counts or above 14 n. f. counts, spun wholly out of either viscose rayon fibre or acetate fibre or polyester fibre or polyamide fibre or acrylic fibre or wool, or from a combination of two and not more than two of the above mentioned fibres, or a combination of any one of the above mentioned fibre with either cotton or silk (but excluding yarn spun out of fibres obtained from fibre wastes, yarn wastes, or fabrics, wastes by garnetting or by any other process)—	
	(a) Celluosic fibre content . .	Re. 1·18 (Rupee one and paise eighteen only) per kg.
	(b) Content of polyester fibre of 2 deniers or less.	Rs. 42·53(Rupees forty two and paise fifty three only) per kg.
	(c) Content of polyester fibre of more than 2 deniers.	Rs. 37.14 (Rupees thirty seven and paise fourteen only) per kg.
	(d) Acrylic fibre content. . . .	Rs. 12.95 (Rupees twelve and paise ninety five only) per kg.
	(e) Polyamide fibre content. .	Rs. 35.36 (Rupees thirty five and paise thirty six only) per kg.
	(f) Wool content—:	
	(i) in the worsted yarn of weaving quality.	Rs. 10·10 (Rupees ten and paise ten only) per kg.
	(ii) in the worsted hosiery yarn and worsted hand-knitting yarn.	Rs. 10·10 (Rupees ten and paise ten only) per kg.
	(g) Dye content if the yarn is dyed.	Re.0.85 (Eighty five paise only) per kg. of the yarn.

Provided that:

(i) the drawback at the above rates on account of fibre content and wool content shall be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares, and if necessary produces proof to the satisfaction of the Collector that the synthetic fibres mentioned at (a) to (e) above contained in the export goods are duty paid virgin fibres (and not the fibres obtained from fibre, wastes yarn wastes or fabric waste by garnetting or by any other process) and the wool mentioned at (f) above is only imported duty paid wool;

(ii) no rebate of the duty paid on fibres has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.

(iii) the drawback at the above rates on fibre content shall not be allowed in respect of those fibres for which the declaration as aforesaid has not been Amade and proof as aforesaid has not been produced.

(1)	(2)	(3)

(iv) unless it is proved to the satisfaction of the Collector that polyester fibre of two deniers or less has been used in the manufacture of the export goods, drawback in respect of polyester fibre content shall be admissible at the lower rate specified against item (c) above.

	(B) All Wool worsted handknitting yarn of 21 BWS or less counts.	
	(i) Wool content. . . .	Rs. 7.09 (Rupees seven and paise nine only) per kg.
	(ii) Dye content if the yarn is dyed.	Re. 0.85 (Eighty five paise only) per kg. of the yarn.

Provided that the drawback at the above rate in respect of wool content shall be admissible only if the manufacturer /exporter at the time of shipment declares, and if necessary produces proof to the satisfaction of the Collector that the wool content in the export goods is imported duty paid wool and that the yarn is worsted.

	(C) All wool worsted yarn (excluding all wool worsted hand-knitting yarn) of 21 BWS or less counts—	
	(i) Wool content. . . .	Rs. 3.83 (Rupees three and paise eighty three only) per kg.
	(ii) Dye content if the yarn is dyed.	Re. 0.85 (Eighty five paise only) per kg. of the yarn.

Provided that the drawback at the above rate in respect of wool content shall be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment, declares and if necessary produces proof to the satisfaction of the Collector that the yarn is worsted yarn.

	(D) Dyed yarn spun out of fibres containing synthetic fibres and/or wool and obtained from fibre wastes, yarn wastes or fabric wastes by garnetting or by any other process.	Re. 0.85 (Eighty five paise only) per kg. of the yarn.
5503	Thread, Twine, Cord and rope made out of spun yarn containing cotton, silk, wool and man-made fibre but not containing jute—	
	(A) Yarn content:	
	(i) Content of yarn spun wholly out of synthetic staple fibre of cellulosic origin or out of synthetic staple fibre of cellulosic origin and cotton provided that the cotton content of yarn does not exceed 10 per cent of its weight.	

of or more n. f. count.	But less than n.f. count

(1)		(2)	(3)
(a)	69 n.f.	—	Re. 1.57 (Rupees one and paise fifty seven only) per kg.
(b)	51 n.f.	69 n.f.	Re 1·31 (Rupee one and paise thirty one only) per kg.
(c)	40 n.f.	51 n.f.	Re. 1·15 (Rupee one and paise fifteen only) per kg.
(d)	34 n.f.	40 n.f.	Re. 0·84 (Eighty four paise only) per kg.
(e)	29 n.f.	34 n.f	Re. 0·73 (Seventy three paise only) per kg.
(f)	22 n.f.	29 n.f	Re. 0·33 (Thirty three paise only) per kg.
(g)	14 n.f.	22 n.f.	Re. 0·21 (Twenty one paise only) per kg.
(h)	—	14 n.f.	Re. 0·10 (Ten paise only) per kg.
(ii) Content of yarn spun out of synthetic staple fibre of cellulosic origin and wool and/or silk provided the wool and/or silk content of the yarn does not exceed 10 per cent of its weight.			Rs. 7·85 (Rupees seven and paise eighty five only) per kg.
(iii) Content of yarn spun wholly out of synthetic polyester or polyamide staple fibres or partly out of staple fibre aforesaid and partly out of cellulosic staple fibre/wool/cotton/silk provided the wool and/or cotton and/or silk content, if any, does not exceed 10 per cent of its weight and if the non-cellulosic (polyester/polyamide) fibre content of it is—			
	(a) 50 per cent or more		Rs. 15·69 (Rupees fifteen and paise sixty nine only) per kg.
	(b) less than 50 per cent but not less than 25 per cent.		Rs. 12·55 (Rupees twelve and paise fifty five only) per kg.
	(c) less than 25 per cent but more than 10 percent.		Rs. 10·46 (Rupees ten and paise forty six only) per kg.
	(d) 10 per cent or less		Rs. 7·84 (Rupees seven and paise eighty four only) per kg.
(iv) Content of yarn spun either wholly out of acrylic fibre or partly of such acrylic fibre and partly of cotton and/or silk and/or wool provided the cotton/silk/wool content is not more than 10 per cent of its weight—			
(a)	worsted handknitting yarn.		Rs. 7·32 (Rupees seven and paise thirty two only) per kg.

(1)	(2)	(3)
(b)	worsted, other than handknitting yarn—	
	(1) of 40 n.f. counts and above.	Rs. 14.64 (Rupees ourteen and paise sixty four only) per kg.
	(2) of above 20 n.f. counts but below 40 n.f. counts.	Rs. 8·37 (Rupees eight and paise thirty seven only) per k·.
	(3) of 20 n.f.counts and below.	Rs. 4·18 (Rupees ur and paise eighteen only) per kg.
(c)	other than worsted.	Re. 1·04 Rupees one and paise four only) per kg.
	(v) Contents of yarns containing not less than 90 per cent by weight of wool calculated on the total fibre contents of yarn —	
	(a) content of worsted and knitting grey yarn.	Rs. 1·44 (Rupee one and paise forty four only) per kg.
	(b) content of worsted hand-knitting processed and/or dyed yarn.	Rs. 7·48 (Rupees seven and paise forty eight only) per kg.
	(c) content of worsted yarn other than hand-knitting.	
	(i) of 48 BWS counts and above.	Rs. 11.·82 (Rupees eleven and paise eighty two only) per kg.
	(ii) of above 24 BWS counts but below 48 BWS counts.	Rs. 5·83 (Rupes five and paise eighty three only) per kg.
	(iii) of 24 BWS counts and below.	Re. 1·44 (Rupee one and paise forty four only) per kg.
	(d) Content of woollen yarn (containing not more than 5 per cent virgin wool). Commonly known as shoddy or woollen yarns, made from tannery or stripped wool .	Re. 0·59 (Fifty nine paise only) per kg.
	(e) Content of woollen yarn other than that falling under (a), (b), (c) and (d) above.	Re. 1·41 (Rupee one and paise forty one only) per kg.
	(1) of 40 nf counts and above.	Rs. 14·64 (Rupees fourteen ar d paise sixty four only) per kg.
	(2) of above 20 n. f. counts but below 40 n. s. counts.	Rs. 8·37 (Rupees eight and paise thirty seven only) per kg.
	(3) of 20 n.f. counts and below.	Rs. 4·18 (Rupees four and paise eighteen only) per kg.
	(c) other than worsted.	Re 1·04 (Rupees one and paise four only) per kg.
	Content of yarn contaning not less than 90% by weight of wool calculated on the total fibre content of yarn—	
	(a) content of worsted and knitting grey yarn.	Re 1·44 (Rupee one and paise forty four only) per kg.

(1)	(2)	(3)
	(b) content of worsted hand-knitting processed and /or dyed yarn.	Rs. 7·48 (Rupees seven and paise forty eight only) per kg.
	(c) content of worsted yarn other than hand-knitting.	
	(i) of 48 BWS counts and above.	Rs. 11·82 (Rupees eleven and paise eighty two only) per kg.
	(ii) of above 24 BWS counts but below 48 BWS counts.	Rs. 5·83 (Rupees five and paise eighty three only) per kg.
	(iii) of 24 BWS counts and below.	Re. 1·44 (Rupee one and paise forty four only) per kg.
	(d) Content of woollen yarn (containing not more than 5 % virgin wool. Commonly known as shoddy woollen yarns, made from tarrery or stripped wool.	Re. 0·59 (Fifty nine paise only) per kg.
	(e) Content of woollen yarn other than that falling under (a),(b),(c) and (d) above.	Re. 1·41 (Rupee one and paise forty one only) per kg.
(VI)	Content of yarns spun from two or more of the following fibres viz. cotton silk, wool and synthetic man made fibres (but extruding jute) provided the weight of each of the fibres specfied above is less than 90%	
	(a) Content of yarn containing partly more than 40 % by weight of cotton and partly any other fibre or fibres, the wool or silk content being less than 40% by weight of such yarn (when such yarn contains wool or silk).	Appropriate rates at (b) to (f) below.
	(b) Content of yarn containing party synthet staple fibre of non-cellulosic origin (other than acraylic fibre) and partly any other fibre or fibres, content of such non-cellulosic synthetic staple fibre being more than 50 % by weight of such yarn—	
	(i) if the non cellulosic fibre content of yarn is more than 55%	Rs. 15·69 (Rupees fifteen and paise Sixty nine only) per kg.
	(ii) if the non-cellulosic fibre content of yarn is more than 50 but not more than 55%	
	(a) if the count of yarn is 34 n. f. or less.	Rs. 5·75 (Rupees five and paise seventy five only) per kg.
	(b) if the count of yarn is above 34 n.f.	Rs. 7·84 (Rupees seven and paise eighty four only) per kg.

1	2	3
(c) Content of yarn containing partly synthetic fibre of cellulosic origin and/or cotton and partly of wool and /or synthetic staple fibre of non-cellulosic origin provided that the content of the synthetics staple fibre of cellulosic origin and/or cotton is more than 50% by weight of such yarn and if the non-cellulosic fibre content and/or wool content of the yarn is		
(i) 40% or more but not more than 50% and the count of yarn is 34 n.f. or less.		Rs. 6·27 (Rupees six and paise twenty seven only) per kg.
(ii) 40% or more but not more than 50% and the count of yarn is above 34 n.f.		Rs. 8·87 (Rupees eight and paise thirty seven only) per kg.
(iii) 20% or more but less than 40% and the count of yarn is 34 n.f. or less.		Rs. 4·18 (Rupees four and paise eighteen only) per kg.
(iv) 20% or more but less than 40% and the count of yarn is above 34 n.f.		Rs. 6·27 (Rupees six and paise twenty seven only) per kg.
(v) less than 20% and the count of yarn is 34 n.f. or less.		Rs. 2·09 (Rupees two and paise nine only per kg.
(vi) less than 20% and the count of yarn above 34 n.f.		Rs. 4·18 (Rupees four and paise eighteen only) per kg.
(d) Content of yarn containing partly wool and/or acrylic fibre and partly and other filbre or fibres provided that the wool and/or acrylic fibre contents more than 50% by weight of such yarn—		
(i) worsted hand-knitting grey yarn		Re. 1·44 (Rupee one and paise forty four only) per kg.
(ii) worsted handknitting processed and/or dye yarn.		Rs. 7·48 (Rupees seven and paise forty eight only) per kg.
(*iii*) worsted yarn other than hand-knitting yarn'—		
(1) of 40 n.f. counts and above		Rs. 11·82 (Rupees eleven and paise eighty two only) per kg.
(2) of above 20 n.f. counts but below 40 n.f. count.		Rs. 5·83 (Rupees five and paise eighty three only) per kg.
(3) of 20 n.f. counts and below		Rs. 1·44 (Rupee one and paise forty four only) per kg.
(*iv*) Yarn (containing not less than 60% of wool and not more than 5% of origin wool) commonly known as sheddy.		Re. 0·59 (Fifty nine paise only) per kg.

1	2		3
(v) Yarn other than worsted yarn or sheddy yarn.			Re. 1·41 (Rupee one and paise forty one only) per kg.
(e) Content of yarn made out of Synthetic staple fibre of cellulosic origin and cotton provided content of each of the above fibres is less than 90%. Of or more count.	But less than count		
69 n.f.	..		Rs. 1·57 (Rupee one and paise fifty seven only) per kg.
51 n.f.	69	n.f.	Re. 1·31 (Rupee one and paise thrity one only) per kg.
40 n.f.	51	n.f.	Re. 1·15 (Rupee one and paise fifteen only) per kg.
34 n.f.	40	n.f.	Re. 0·84 (Eighty four paise only) per kg.
29 n.f.	34	n.f.	Re. 0·73 (Seventy three paise only) per kg.
22 n.f.	20	n.f.	Re. 0·33 (Thirty three paise only) per kg.
14 n.f.	22	n.f.	Re. 0·21 (Twenty one paise only) per kg.
	14	n.f.	Re. 0·10 (Ten paise only) per kg.
(f) Content of yarn containing partly silk fibre and partly any other fibre or fibres provided that the sillk fibre content is more than 50% by weight of such yarrn.			
(i) of 34 n.f. counts or less	.		Rs. 13·60 (Rupees thirteen and paise sixty only) per kg.
(ii) of more than 34 counts	.		Rs. 15·69 (Rupees fifteen and paise sixtynine only) per kg.

Provided that the drawback on account of yarn content specified at (A) above shall be admissible if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares that the yarn used is duty paid and specified the Sub-Serial No., item and Sub-Item under which the drawback is claimed, giving the fibre compositions in the yarn, and if the Collector is satisfied that the yarn falls under that Sub-Serial No. item and Sub-item. Otherwise, the drawback at other appropriate rate, decided on the basis of evidence available shall be granted.

(B) Dyes content of goods made out of yarns specified at Sub-item (A) above if they contain an aggregate of 50% or more of wool and/or synthetic manmade fibre and where the goods are yarn dyed or piece dyed.	Rs. 0·90 (Ninety paise only) per kg. of spun yarn content of the goods.
(C)(i) Fibre qontent in is goods made out of yarns of above 21 BWS counts/ above 14 n.f. counts.	
(a) Polyester fibre of not more than 2 deniers.	Rs. 44·35 (Rupees forty-four and paise thiry five only) per kg.
(b) Polyester fibre of more than 2 deniers.—	Rs.38 ·72 (Rupees thirty eight an d pai seventy two only per) kg.

1	2	3
	(*c*) Polyamide fibre	Rs. 36·86 (Rupees thirty six and paise eighty-six only) per Kg.
	(*d*) Cellulosic fibre	Re. 1·24 (Rupee one and paise twenty-four only) per Kg.
	(*e*) Acrylic fibre	Rs. 13·50 (Rupees thirteen and paise fifty only) per Kg.
	(*f*) Wool content in worsted yarn of weaving quality	Rs. 10·53 (Rupees ten and paise fifty three only) per Kg.
	(*g*) Wool content in worsted yarn of hosiery quality and worsted hand knitting woollen yarn (knitting wool).	Rs. 10·53 (Rupees ten and fifty-three pasie only) per Kg.

Provided that (*i*) the drawback at the above rates on account of fibre content and wool content shall be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares and, if necessary, produces proof to the satisfaction of the Collector that

(*a*) the synthetic fibres mentioned at items (*a*) to (*e*) above contained in export goods are duty paid virgin fibres (and not the fibres obtained from fibre wastes, yarn wastes or fabric wastes by garnetting or by any other process), and

(*b*) the wool mentioned at items (*f*) and (*g*) above is only imported duty paid wool and that the yarn is worsted.

(*ii*) no rebate of the duty paid on fibres has been obtained under the Central Excise Rules, 1944

(*iii*) the drawback at the above rates on fibre contents shall not be allowed in respect of those fibres for which the declaration as aforesaid has not been made and proof as aforesaid has not been produced.

(*iv*) unless it is proved to the satisfaction of the Collector that polyester fibre of two danier or less has been used in the manufacture of the export goods, drawback in respect of polyester fibre content shall be admissible at the lower rate specified against it (*b*) above.

	(*ii*) Wool content in goods made out of all wool worsted hand knitting yarn of 21 BWS or less counts.	Rs. 7·39 (Rupees seven and paise thiry-nine only). per Kg.

Provided that the drawback at the above rate in respect of wool content shall be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares, and if necessary, produces proof to the satisfaction of the Collector that the wool content in the export goods is imported duty paid wool and that the yarn is worsted.

	(*iii*) Wool content in goods made out of all wool worsted yarn (excluding hand-knitting yarn) of 21 BWS or less counts.	Rs. 3·99 (Rupees three and paise ninety-nine only) per Kg.

Provided that the drawback at the above rate in respect of wool content shall be admissible if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares, and if necessary, produces proof to the satisfaction of the Collector that the yarn is worsted yarn.

2505	Vacant	
2509	Viscose Filament Yarn	Re. 0·46 (Forty-six paise only) per Kg.
2510	Acetate Filament Yarn	Re. 0·48 (Forty-eight paise only) per Kg.
2511	Polyamide Filament Yarn	Rs. 2·77 (Rupees two and paise seventy-seven only) per Kg.
2512	Polyester Filament Yarn	Rs. 2·62 (Rupees two and paise sixty-two only) per Kg.

1	2	3
	Provided that the rates of drawback prescribed under Sub-Serial Nos. 2509, 2510, 2511 and 2512 shall also apply to exports of fabric made out of above filament yarns and exported under bond under Rule or rule 14 of the Central Excise Rules, 1944 without payment of excise duty on such filament yarn.	
	(*b*) After Sub-Sesial No. 2512 and the entries relating thereto the following shall be inserted namely :—	
2513	Thread, twines cords (excluding parachute cords) and ropes made wholly out of synthetic manmade filament yarn.	
	(A) Polyester filament yarn content :—	
	(*i*) Below 30 deniers	Rs. 48·43 (Rupees forty-eight and paise forty-three only) per Kg.
	(*ii*) of 30 to 74 deniers.	Rs. 37·62 (Rupees thirty-seven and paise sixty-two only) per Kg.
	(*iii*) of 75 to 99 deniers	Rs. 27·62 (Rupees twenty-seven and paise sixty-two only) per Kg.
	(*iv*) of 100 to 750 deniers	Rs· 22·62 (Rupees twenty-two and paise sixty-two only) per Kg.
	(*v*) of above 750 deniers	Rs. 7·62 (Rupees seven and paise sixty-two only) per Kg.
	(B) Polyamide Filament Yarn content :—	
	(*i*) Below 30 deniers	Rs. 38·88 (Rupees thirty-eight and paise eighty-eight only) per Kg.
	(*ii*) of 30 to 74 deniers	Rs. 33·67 (Rupees thirty-three and paise sixty-seven only) per Kg.
	(*iii*) of 75 to 89 deniers	Rs. 27·77 (Rupees twenty-seven and paise seventy-seven only) per Kg.
	(*iv*) of 90 to 149 deniers	Rs. 22·77 (Rupees twenty-two and paise seventy-seven only) per Kg.
	(*v*) of 150 to 750 deniers	Rs. 10·77 (Rupees ten and paise seventy-seven only) per Kg.
	(*vi*) above 750 deniers	Rs. 6·77 (Rupees six and paise seventy-seven only) per Kg.
	(C) Viscose Filament Yarn content :—	
	(*i*) Below 75 deniers	Rs. 11·10 (Rupees eleven and paise ten only) per kg.
	(*ii*) of 75 to 99 deniers	Rs. 7·85 (Rupees seven and paise eighty five only). per Kg.
	(*iii*) of 100 to 119 deniers	Rs. 5·70 (Rupees five and paise seventy only) per Kg.

1	2	3
	(*iv*) of 120 to 149 deniers	Rs. 4·70 (Rupees four and paise seventy only) per Kg.
	(*v*) of 150 to 3349 deniers	Rs. 3·90 (Rupees three and paise ninety only) per Kg.
	(*vi*) of 350 to 1100 deniers	Rs. 2·95 (Rupees two and paise ninety-five only) per Kg.
	(*vii*) above 1100 deniers	Rs. 2·45 (Rupees two and paise forty-five only) per Kg.
	(D) Acetate Filament Yarn content :—	
	(*i*) if the yarn is of below 75 deniers	Rs. 10·28 (Rupees ten and paise twenty-eight) only per Kg.
	(*ii*) if the yarn is of 75 deniers and above but below 100 deniers	Rs. 7·73 (Rupees seven and paise seventy-three only) per Kg.
	(*iii*) if the yarn is of 100 deniers and above but below 120 deniers	Rs. 5·73 (Rupees five and paise seventy three only) per Kg.
	(*iv*) if the yarn is of 120 deniers and above but below 150 deniers	Rs. 3·93 (Rupees three and paise ninety three only) per Kg.
	(*v*) if the yarn is of 150 deniers and above but below 350 deniers	Rs. 3·63 (Rupees three and paise sixty-three only) per Kg.
	(*vi*) if the yarn is of 350 deniers and above but not above 1100 deniers	Rs. 2·98 (Rupees two and paise ninety-eighty only) per Kg.
	(*v*) if the yarn is of above 1100 deniers	Rs. 2·48 (Rupees two and paise forty-eight only) per Kg.

Provided that the rate specified above in relation to the yarn content shall apply only if the Central Excise duty on the yarn has been paid at the appropriate rates and no rebate of the said duty has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.

(*c*) For Sub-Serial Nos. 2606, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2629, 2626 and 2627 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

2606	Fabrics and hosiery made wholly out of spun yarns containing cotton, silk, wool and man-made fibres but not containing jute and fabrics and hosiery where such yarn is used only in warp or weft or as embellishment/decoration yarn.	Rates for yarn contents, Dye content and Fibre content as specified against Sub-Serial No. 2503 subject to conditions mentioned therein.

Provided that no drawback on account of yarn contents shall be admissible in respect of fabrics using yarns specified at Sub-Serial Nos. 2503(A) VI(a).

2608	Vacant
2609	Vacant
2610	Vacant
2611	Vacant
2612	Vacant

(1)	(2)	(3)
2613	Vacant	
2614	Vacant	
2615	Vacant	
2616	Vacant	
2617	Vacant	
2618	Vacant	
2619	Vacant	
2620	Fabrics and hosiery made wholly out of synthetic manmade filament yarn or fabrics and hosiery where such filament yarn is used only in warp or weft or both or as embellishment or for decoration purposes.	Rates of yarn contents as specified at Sub-Serial No. 2513, subject to the condition mentioned therein.
2626	Vacant	
2627	Vacant	

(d) For Sub-Serial Nos 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720 and 2721 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

2706	Knitwear and other made up articles made wholly out of spun yarns containing cotton, silk, wool and manmade fibres but not containing jute and knitwear and other made up articles where such spun yarn is used only in warp or weft or as embellishment/decoration yarn.	Rate for yarn contents, Dye content and fibre content as specified against Sub-Serial No. 2503 subject to conditions mentioned therein.

Provided that no drawback on account of yarn content shall be admissible in respect of made up articles of fabrics using yarn specified at Sub-Serial No. 2503(A)(VI)(a).

2707	Vacant
2708	Vacant
2709	Vacant
2710	Vacant
2711	Vacant
2712	Vacant
2713	Vacant
2714	Vacant
2715	Vacant
2716	Vacant
2717	Vacant
2718	Vacant
2719	Vacant
2720	Vacant

1	2	3
2721	Knitwear and other made up articles (excluding fishnets) manufactured wholly out of synthetic man made filament yarn or knitwear and other made up articles where such filament yarns are used in only warp or weft or both or as embellishment or for decoration purposes.	Rates for yarn content as specified against Sub-Serial No. 2513, subject to condition mentioned therein.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1972

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 67/72—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52 फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा तत्काल निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. (क) उप क्रम संख्या 2502, 2503, 2505, 2509, 2510, 2511 और 2512 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिये, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रति अदायगी की दर
1	2	3
2502	(क) 21 मी० डब्ल्यू० एम० काउन्ट से ऊपर अथवा 14 एन० एफ० काउन्ट से ऊपर का धागा जो या तो पूर्णतः विस्कोस रेयन तन्तु अथवा एसिटेट तन्तु अथवा पोलीएस्टर तन्तु अथवा पोलीएमाइड तन्तु अथवा एक्रिलिक तन्तु अथवा उनसे कता हो अथवा दो के सम्मिश्रण से और ऊपर उल्लिखित तन्तुओं में से अनधिक के सम्मिश्रण से कता हो, अथवा सूत अथवा रेशम (परन्तु जिसमें तन्तु की रद्दी सूत की रद्दी अथवा गार्नेट करके अथवा किसी भी अन्य प्रक्रिया द्वारा निकाली गयी कपड़ों की रद्दी शामिल नहीं है) के साथ ऊपर बतायी गयी फैब्रिक्स में से किसी भी एक के सम्मिश्रण से कता हो— (क) सेल्यूलोजिक तन्तु अन्तर्वस्तु	1 18 रुपये (केवल एक रुपये अठारह पैसे)।

1	2	3
	(ख) 2 डेनियर अथवा उससे नीचे की पोलीएस्टर तन्तु अन्तर्वस्तु	प्रति किलोग्राम 42.53 (केवल ब्यालिस रुपये तिरपन पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ग) 2 डेनियर के ऊपर के पोलीएस्टर तन्तु की अन्तर्वस्तु	37.14 रुपये (केवल सैंतीस रुपये चौदह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(घ) ऐक्रिलिक तन्तु अन्तर्वस्तु	12.95 रुपये (केवल बारह रुपये पंचानवे पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ङ) पोलीएमाइड तन्तु अन्तर्वस्तु	35.36 रुपये (केवल पैंतीस रुपये छत्तीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(च) ऊन अन्तर्वस्तु :—	
	(i) बुनाई की कोटि के वर्स्टेड धागे में	10.10 रुपये (केवल दस रुपये दस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ii) वर्स्टेड होजरी धागे तथा हाथ से बुने वर्स्टेड धागे में	10.10 रुपये (केवल दस रुपये तथा दस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(छ) यदि धागा रंजित हो तो रंजक अन्तर्वस्तु	0.85 रुपये (केवल पचासी पैसे) प्रति किलोग्राम धागे पर ।

परन्तु (i) तन्तु अन्तर्वस्तु तथा ऊन अन्तर्वस्तु के संबंध में उपर्युक्त दरों पर प्रतिदायगी केवल तभी स्वीकार्य होगी जब निर्माणकर्ता/निर्यातकर्ता जहाज पर लदान के साथ यह घोषित करता है, तथा यदि आवश्यक हो तो शुल्काहर्ता के समाधान के लिये इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि ऊपर (क) से (ङ) में, उल्लिखित निर्यात-माल में निहित संश्लिष्ट तन्तु, शुल्क अदा किये गये अप्रयुक्त तन्तु हैं (न कि ऐसे तन्तु हैं जो तन्तु की रद्दियों, धागे की रद्दियों अथवा गार्नेट प्रक्रिया या किसी अन्य प्रक्रिया से प्राप्त किये गये है), तथा ऊपर (च) में उल्लिखित ऊन केवल आयातित और शुल्क अदा किया गया ऊन है; (ii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत, तन्तुओं पर अदा

(1)	(2)	(3)

किय गये शुल्क में से कोई छूट प्राप्त नही की गयी है, (iii) तन्तु अन्तर्वस्तुओं पर उपर्युक्त दरों पर प्रति अदायगी देने की अनुमति उन तन्तुओं के संबंध में नहीं दी जायेगी, जिनके संबंध में उपरोक्त अनुसार घोषणा नही की गई है अथवा उपरोक्त अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। (iv) जब तक समाहर्ता के समाधान प्रद रूप में यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता है कि निर्यात-माल के विनिर्माण में दो डेनियर अथवा उससे नीचे के पोलीएस्टर तन्तु का इस्तेमाल किया गया है, तब तक पोलीएस्टर तन्तु अन्तर्वस्तु के संबंध में ऊपर मद (ग) के सामने विनिर्दिष्ट निम्नतर दर पर प्रतिअदायगी स्वीकार्य होगी ।

(ख)	21 बी० डब्ल्यू० एस० अथवा उससे नीचे के काउन्ट का, हाथ से बुनाई का समग्रतः ऊन का वर्स्टेड धागा ।	
	(i) ऊन अन्तर्वस्तु	7 09 रुपये (केवल 7 रुपये 9 पैसे) प्रति किलोग्राम) ।
	(ii) यदि धागा रंजित हो तो रजक अन्तवस्तु	0.85 रुपये (केवल पचासी पैसे) धागे का प्रति किलोग्राम ।
	परन्तु ऊन अन्तर्वस्तु के संबंध में उपर्युक्त दरों पर प्रति अदायगी केवल तभी स्वीकार्य होगी जब निर्माणकर्त्ता/निर्यातकर्त्ता लदान के समय यह घोषणा करता है तथा यदि आवश्यक हो तो समाहर्ता के समाधान प्रद रूप में इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि निर्यात-माल मे निहित ऊन अन्तर्वस्तु, आयातित एवं शुल्क अदा किया गया ऊन है और यह कि धागा वर्स्टेड है ।	
(ग)	21बी० डब्ल्यू० एस० अथवा उससे नीचे के काउन्ट का समग्रतः ऊन का वर्स्टेड धागा (जिसमें हाथ से बुनाई का समग्रतः ऊन का वर्स्टेड धागा शामिल नही है)	
	(i) ऊन अन्तर्वस्तु	3.83 रुपये (केवल तीन रुपये तिरासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ii) यदि धागा रंजित हो तो रंजक अन्तर्वस्तु	0.85 रुपये (केवल पच्चासी पैसे) धागे का प्रति किलोग्राम ।

(1)	(2)	(3)
	परन्तु ऊन अन्तर्वस्तु के संबंध में उपर्युक्त दर पर प्रति अदायगी केवल तभी स्वीकार्य होगी जब निर्माणकर्ता/निर्यातकर्ता लदान के समय यह घोषणा करता है तथा यदि आवश्यक हो तो समाहर्ता के समाधान प्रद रूप से इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उक्त धागा वर्स्टेड धागा है ।	
	(ब) संश्लिष्ट तन्तुओं तथा/अथवा ऊन युक्त तन्तुओं से कता तथा तन्तु की रद्दियों, धागे की रद्दियों अथवा गार्नेट प्रक्रिया अथवा किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों की रद्दियों से प्राप्त रंजित धागा ।	0.85 रुपये (केवल पचासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2503	कते धागे से बने तागे, बलित डोरी, डोरी तथा रस्सी जिसमें, सूत, रेशम, ऊन तथा मानवनिर्मित तन्तु तो अन्तर्विष्ट है किन्तु जट अन्तर्विष्ट नहीं है —	
	(क) धागा अन्तर्वस्तु :	
	(i) पूर्णतः सेलूलोजिक मूल के संश्लिष्ट तन्तु से कता अथवा सेलूलोजिक मूल स्टैपल के संश्लिष्ट तन्तु तथा सूत से कता धागा अन्तर्वस्तु, बशर्ते धागे की सूत अन्तर्वस्तु अपने भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ।	

	निम्नलिखित एन० एफ० अथवा उससे अधिक काउन्ट का	किन्तु निम्नलिखित एन० एफ० काउन्ट से नीचे का	
(क)	69 एन० एफ०	—	1.57 रुपये (केवल एक रुपये सत्तावन पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ख)	51 एन० एफ०	69 एन० एफ०	1.31 रुपये (केवल एक रुपये इकतीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ग)	40 एन० एफ०	51 एन० एफ०	1.15 रुपये (केवल एक रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(घ)	34 एन० एफ०	40 एन० एफ०	0.84 रुपये (केवल चौरासी पैसे) किलोग्राम ।
(ङ)	29 एन० एफ०	34 एन० एफ०	0.73 रुपये (केवल तिहत्तर पैसे) प्रति प्रति किलोग्राम ।

1	2	3
(घ) 22 एन० एफ०	29 एन० एफ०	0.33 रुपये (केवल ततीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(छ) 14 एन० एफ०	22 एन० एफ०	0.21 रुपये (केवल इक्कीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ज) —एन० एफ०	14 एन० एफ०	0.10 रुपये (केवल दस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ii) सेल्युलोजिक मल के संश्लिष्ट स्टैपल तन्तु और ऊन तथा/अथवा रेशम से कते धागे की अन्तर्वस्तु, बशर्ते धागे की ऊन तथा/अथवा रेशम अन्तर्वस्तु अपने भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ।		7.85 रुपये (केवल सात रुपये पच्चासी पैसे) प्रति किलोग्राम।
(iii) पूर्णतः संश्लिष्ट पोलीएस्टर अथवा पोलीएमाइड स्टैपल तन्तुओं से कते अथवा अंशतः उपरोक्त स्टैपल तन्तुओं तथा अंशतः सेल्युलोजिक स्टैपल तन्तु/ऊन/सूत/रेशम से कते धागे की अन्तर्वस्तु बशर्ते ऊन तथा/ अथवा सूत तथा/ अथवा रेशम अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, अपने भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो तथा यदि इसकी गैर-सेल्यूलोजिक (पोली-एस्टर/पोलीएमाइड) तन्तु अन्तर्वस्तु—		
(क) 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो		15.69 रुपये (केवल पंद्रह रुपये उनहत्तर पैसे) प्रति किलो-ग्राम ।
(ख) 50 प्रतिशत से कम किन्तु 25 प्रतिशत से कम नहीं		12.55 रुपये (केवल बारह रुपये पचपन पैसे) प्रति किलो ग्राम ।
(ग) 25 प्रतिशत से कम किन्तु 10 प्रतिशत से अधिक		10.46 रु० (केवल दस रुपये छियालीस पैसे) प्रति किलो-ग्राम ।

1	2	3
	(घ) 10 प्रतिशत अथवा उससे कम	7.84 रुपये (केवल सात रुपये चौरासी पैसे) प्रति किलो-ग्राम।
(iv)	पूर्णतः एक्रिलिक तन्तु अथवा अंशतः ऐसे एक्रिलिक तन्तु तथा अंशतः सूत तथा/अथवा रेशम तथा/अथवा ऊन से कते धागे की अन्तर्वस्तु, बशर्ते सूत/रेशम/ऊन अन्तर्वस्तु अपने भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो;	
	(क) हाथ से बुनाई का वर्स्टेड धागा।	7.32 रुपये (केवल सात रुपये बत्तीस पैसे) प्रति किलो-ग्राम।
	(ख) हाथ से बुनाई के धागे से भिन्न, वर्स्टेड	
	(1) 40 एन० एफ० तथा उससे अधिक के काउंट का	14.64 रुपये (केवल चौदह रुपये चौंसठ पैसे) प्रति किलो-ग्राम।
	(2) 20 एन० एफ० काउंट से अधिक किन्तु 40 एन० एफ० काउंट से कम।	8.37 रुपये (केवल आठ रुपये सैंतीस पैसे) प्रति किलो-ग्राम।
	(3) 20 एन० एफ० तथा उससे कम काउंट का	4.18 (केवल चार रुपये अठारह पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ग) वर्स्टेड से भिन्न	1.04 रुपये (केवल एक रुपया चार पैसे) प्रति किलोग्राम।
	धागे की अंतर्वस्तु जिसमें अपने भाग के 90 प्रतिशत से कम ऊन नहीं हो, जिसकी संगणना सूत के कुल तन्तु अन्तर्वस्तु पर की गई हो—	
	(क) हाथ से बुनाई के वर्स्टेड कोरे धागे की अन्तर्वस्तु	1.44 रुपये (केवल एक रुपया चौवालीस पैसे) प्रति किलो-ग्राम।

1	2	3
	(ख) हाथ से बुनाई का प्रक्रियागत तथा / अथवा रंजित वर्स्टेड धागे की अंतर्वस्तु	7.48 रुपये (केवल सात रुपये अड़तालीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ग) हाथ से बुनाई से भिन्न वर्स्टेड धागे की अंतर्वस्तु	
	(i) 48 बी० डब्ल्यू० एस० काउंट तथा उसमें अधिक के काउंट की ।	11.82 रुपये (केवल ग्यारह रुपये बयासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ii) 24 बी० डब्ल्यू० एस० काउंट से अधिक किन्तु 48 बी० डब्ल्यू० एस० काउंट से कम ।	5.83 रुपये (केवल पांच रुपये तिरासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iii) 24 बी० डब्ल्यू० एस० काउंट तथा उससे कम	1.44 रु० (केवल एक रुपया चौवालीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(घ) ऊनी धागे (जिसमें 5 प्रतिशत से अधिक अप्रयुक्त ऊन नहीं हो) की अंतर्वस्तु जिसे सामान्यतः ऊर्णाविशेष अथवा टैनरी अथवा स्ट्रिप किए गए ऊन से बना ऊनी धागा कहा जाता है ।	0.59 रुपये (केवल उनसठ पैसे) प्रति-किलोग्राम ।
	(ङ) ऊपर (क), (ख), (ग) तथा (घ) के अन्तर्गत आने वाले ऊनी धागे से भिन्न ऊनी धागों की अंतर्वस्तु ।	1.41 रुपये (एक रुपया इकतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(v) निम्नलिखित में से दो अथवा दो से अधिक तन्तुओं से अर्थात् सूत, रेशम, ऊन तथा मानव निर्मित संश्लिष्ट तन्तुओं (परन्तु जिसमें पटसन शामिल नहीं है) से कते धागों की अन्तर्वस्तु जबकि ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक तन्तु का भार 90 प्रतिशत से कम हो ।	
	(क) धागे की अन्तर्वस्तु जिसमें अंशतः सूत का भार 40 प्रतिशत से अधिक तथा अंशतः कोई अन्य तन्तु अथवा बहुत से तन्तुओं, (यदि ऐसे धागे में ऊन अथवा रेशम हो तो) ऊन अथवा रेशम अन्तर्वस्तु इस प्रकार के धागे के भार के 40 प्रतिशत से कम हो ।	नीचे (ख) से (च) में बताई गई उपयुक्त दरें हैं ।

(ख) धागे की अन्तर्वस्तु जिसमें (एक्रिलिक तन्तु के अतिरिक्त) अंशतः गैर-सेलूलोजिक मूल के संश्लिष्ट रेशे के तन्तु शामिल हों तथा अंशतः और कोई तन्तु अथवा बहुत से तन्तु शामिल हों, परन्तु इस प्रकार के गैर-सेलूलोजिक संश्लिष्ट रेशे के तन्तु की अन्तर्वस्तु इस तरह के धागे के भार के 50 प्रतिशत से अधिक हो—	
(1) (i) यदि धागे की गैर सेलूलोजिक तन्तु अन्तर्वस्तु 55 प्रतिशत से अधिक हो ।	15.69 रु० (केवल पन्द्रह रुपये और उनहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ii) यदि धाग की गैर सेलूलोजिक तन्तु अन्तवस्तु 50 प्रतिशत से अधिक हो किन्तु 55 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ।	
(क) यदि धागे का कांउट 34 एन० एफ० अथवा कम हो ।	5.75 रु० (केवल पांच रुपये और पचहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ख) यदि धागे का काउंट 34 एन० एफ० से अधिक हो ।	7.84 रु० (केवल सात रु० और चौरासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ग) धागे की अन्तर्वस्तु जिसमें अंशतः सेलूलोजिक मूल का संश्लिष्ट तन्तु और अथवा सूत तथा अंशतः ऊन तथा/अथवा गैर-सेलूलोजिक मूल के संश्लिष्ट रेशे के तन्तु शामिल हों परन्तु यह तब जब कि सेलूलोजिक मूल के संश्लिष्ट रेशे के तन्तु की अन्तर्वस्तु और/अथवा सूत इस प्रकार के धागे के भार का 50 प्रतिशत से अधिक हो तथा यदि गैर-सेलूलोजिक तन्तु अन्तर्वस्तु और / अथवा धागे की ऊन अन्तर्वस्तु	
(i) 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो परन्तु 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो तथा धागे का काउंट 34 एन० एफ० अथवा उससे कम हो ।	6.27 रु० (केवल छः रुपये और सत्ताईस पैसे) प्रति किलोग्राम।

1	2	3
	(ii) 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हों परन्तु 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो तथा धागे का काउंट 34 एन० एल० से अधिक हो ।	8.37 रु० (केवल आठ रुपए और सैंतिस पैसे प्रति किलोग्राम ।
	(iii) 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो परन्तु 40 प्रतिशत से कम हो तथा धागे का कांउट 34 एन० एफ० अथवा उससे कम हो ।	4.18 रु० (केवल चार रुपए और अठारह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iv) 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो परन्तु 40 प्रतिशत से कम हो तथा धागे का कांउट 34 एन० एल० से अधिक हो ।	6०27 रु० (केवल छ० रुपए और सत्ताईस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(v) 20 प्रतिशत से कम हो तथा धागे काउंट 34 एन० एफ० अथवा उससे कम हो ।	2.09 रु० (केवल दो रुपए और नौ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(vi) 20 प्रतिशत से कम हो तथा धागे का कांउट 34 एन० एफ० से अधिक हो ।	4.18 रु० (केवल चार रुपए और अठारह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(घ) धागे की अन्तर्वस्तु जिसमें अंशतः उन और अथवा एक्रिलिक तन्तु तथा अंशतः अन्य कोई तन्तु अथवा बहुत से तन्तु शामिल हों, परन्तु यह तब जबकि ऊन तथा/अथवा एक्रिलिक तन्तु अन्तवस्तु इस प्रकार के धागे के भार के 5 प्रतिशत से अधिक हो ।	
	(i) हाथ से बुनाई करने का वर्स्टेड कोरा धागा ।	1.44 रु० (केवल एक रुपया और चौवालिस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ii) हाथ से बुनाई का वर्स्टेड प्रक्रियागत और/अथवा रंगा हुआ धागा ।	7.48 रु० (केवल सात रुपये और अड़तालीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iii) हाथ से बुनाई के धागे से भिन्न वर्स्टेड धागा	
	(1) 40 एन० एफ० काउंट तथा उससे अधिक का	11.82 रु० (केवल ग्यारह रुपये और बयासी पसे) प्रति किलोग्राम ।
	(2) 20 एन० एफ० कांउट से अधिक परन्तु 40 एन एफ० कांउट से कम ।	5.83 रु० (केवल पांच रुपये और तिरासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3
	(3) 20 एन० एफ० काउंट तथा उससे कम का	1.44 रु० (केवल रुपया और चौवालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(iv) धागा (जिसमें ऊन 60 प्रतिशत से कम नहीं हो और बिना कता हुआ ऊन 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो) जिसे सामान्यतया ऊर्णाविशेष कहा जाता है ।	0.59 रु० (केवल उनसठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(v) वर्स्टेड धागे से भिन्न धागा अथवा ऊर्णाविशेष धागा	1.41 रु० (केवल एक रुपया इकतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ङ) सेलूलोजिक मूल के संश्लिष्ट रेशे के तन्तु तथा सूत से तैयार किये गये धागे की अन्तर्वस्तु यदि उपर्युक्त तन्तुओं में से प्रत्येक की अन्तर्वस्तु 90 प्रतिशत से कम हो	

निम्नलिखित काउंट की अथवा इससे अधिक काउंट की	परन्तु निम्नलिखित से कम काउंट की	
69 एन० एफ०	—	1.57 रु० (केवल एक रुपया और सतावन पैसे) प्रति किलोग्राम ।
51 एन० एफ०	69 एन० एफ०	1.31 रु० (केवल एक रुपया और इकत्तीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
40 एन० एफ०	51 एन० एफ०	1.15 रु० (केवल एक रुपया और पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
34 एन० एफ०	40 एन० एफ०	0.84 रु० (केवल चौरासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
29 एन० एफ०	34 एपे० एफ०	0.73 रु० (केवल तिहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
22 एन० एफ०	29 एन० एफ०	0.33 रु० (केवल तैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
14 एन० एफ०	22 एन० एफ०	0.21 रु० (केवल इक्कीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
—	14 एन० एफ०	0.10 रु० (केवल दस पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3
	(च) धागे की अन्तर्वस्तु जिसमें अंशतः रेशम तन्तु तथा अंशतः अन्य कोई तन्तु अथवा बहुत से तन्तु शामिल हो परन्तु यह तब जबकि रेशम तन्तु अन्तर्वस्तु इस प्रकार के धागे के भार के 50 प्रतिशत से अधिक हो ।	
	(i) 34 एन० एफ० काउंट अथवा उससे अधिक का	13.60 रु० (केवल तेरह रुपये और साठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ii) 34 काउंट से अधिक का . . .	15.69 रु० (केवल पन्द्रह रुपये और उनहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।

ऊपर (क) में निर्दिष्ट धागा अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में प्रतिग्रदायगी उस स्थिति में स्वीकार्य होगी जब निर्माता/निर्यातकर्त्ता लदान के समय यह घोषणा करे कि प्रयुक्त धागे पर शुल्क अदा किया जा चुका है और उसमें वह एस० एस० नं०, पद, उपमदें विनिर्दिष्ट करता है जिनके अधीन प्रतिग्रदायगी का दावा किया जाता है और धागे में तन्तु के संघटन का ब्यौरा दिया जाता है और यदि समाहर्त्ता का यह समाधान हो जाय कि धागा उसी एस० एस० नं०, मद तथा उपमद के अन्तर्गत आता है। अन्यथा प्रति ग्रदायगी उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णीत अन्य उपयुक्त दर पर मंजूर की जायगी ।

	(ख) उपर्युक्त उप-मद (क) में विनिर्दिष्ट धागों से तैयार की गई माल की रंजक अन्तर्वस्तु यदि उसमें कुल मिला कर 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक ऊन तथा/अथवा मानव निर्मित सम्मिश्रित तन्तु हो और जब माल का धागा रंजित हो अथवा कपड़ा रंगित हो ।	0.90 रु० (केवल नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ग) (i) 21 वी० डब्ल्यू० एस० काउंट से अधिक 14 एन०एफ० काउंट से अधिक के धागों से तैयार किये गये माल में तन्तु अन्तर्वस्तु	
	(क) 2 डेनियर से अनग्रधिक का पोलिएस्टर तन्तु	44.35 रु० (केवल चौवालिस रुपये और पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3
	(ख) 2 डेनियर से अधिक का पोलिएस्टर तन्तु .	38.72 रु० (केवल अड़तीस रुपये बहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ग) पोलिएमाइड तन्तु	केवल 36.86 रू0 छत्तीस रुपये और छियासी पैसे) प्रतिकिलो ग्राम ।
	(घ) सेललोजिक तन्तु	1.24 रु० (केवल एक रुपया और चौबीस पैसे) प्रति किलीग्राम।
	(ङ) एक्रिलिक तन्तु	13.50 रु0 (केवल तेरह रुपये और पचास पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(च) बुनाई की कोटि के वस्टड धागे में ऊन अन्तर्वस्तु	100.53 रु0 (केवल दस रुपये तथा रत्तेपन पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(छ) हौजरी कोटि के वर्स्टेड धागे और हाथ से बुनाई के वर्स्टेड ऊनी धागे (बुनाई की ऊन) में ऊन अन्तर्वस्तु	10.53 रु० (केवल दस रुपये तेरपन प्रति किलोग्राम ।

(i) परन्तु (i) तन्तु अन्तर्वस्तु तथा ऊन अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उपर्युक्त दरों पर प्रति अदायगी केवल उस स्थिति में ही स्वीकार्य होगी जब निर्माता / निर्यातकर्ता लदान के समय समाहर्त्ता के समाधान प्रद रूप से यह घोषणा करता है और यदि आवश्यक हो ो प्रमाण प्रस्तुत करता है कि —

(क) निर्यात के माल में निहित उपर्युक्त (क) से (ङ) मदों में उल्लिखित संश्लिष्ट तन्तु ऐसे अप्रयुक्त तन्तु हैं जिस पर शुल्क अदा किया जा चुका है और ये ऐसे तन्तु नहीं हैं जिन्हें तन्तु की रद्दी, धागे की रद्दी अथवा कपड़े की रद्दी से गारनेट प्रक्रिया अथवा किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया गाया हो । और

(ख) उपयुक्त मद (च) तथा (छ) में उल्लिखित ऊन केवल वही ऊन है जिसे शुल्क अदा करके आयात किया गया है ौर यह कि धागा वस्टड है ।

1	2	3
	(ii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन, तन्तुओं पर अदा किये गये शुल्क के सम्बन्ध में कोई छूट नहीं ली गई है ।	
	(iii) उन तन्तुओं के सम्बन्ध में तन्तु अन्तर्वस्तुओं पर उपर्युक्त उपर्युक्त दरों पर प्रति अदायगी नहीं दी जायगी जिनके बारे में ऊपर बताये गये तरीके से घोषणा नहीं की गई हो और प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया हो ।	
	(iv) जब तक समाहर्ता के समाधान प्रद रूप से यह सिद्ध न किया गया जाय कि निर्यात के माल के निर्माण में दो डेनियर अथवा उससे कम का पोलिएस्टर तन्तु इस्तेमाल किया गया है, पोलिएस्टर तन्तु अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में प्रतिअदायगी उपर्युक्त मद (ख) में विनिर्दिष्ट निम्नतर दर पर स्वीकार्य होगी ।	
(ii)	21 बी० डब्ल्यू० एस० अथवा उससे कम काउट के समग्रत: हाथ से बुनाई के वर्स्टेड धागे से तैयार किये गये माल में ऊन अन्तर्वस्तु	7.39 रु० (केवल सात रुपये और उनतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम
	परन्तु ऊन अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उपर्युक्त दर पर प्रतिअदायगी तभी स्वीकार्य होगी जब निर्माता/निर्यातकर्त्ता लदान के समय समाहर्ता के समाधानप्रद रूप से यह घोषणा करे तथा यदि आवश्यक हो तो यह प्रमाणित करे कि निर्यात के माल में ऊन अन्तर्वस्तु आयातिक तथा शुल्क अदा की गई ऊन है और यह कि धागा वर्स्टेड है ।	
(iii)	21 बी० डब्ल्यू० एस० अथवा उससे कम काउट के समग्रत: उन के वर्स्टड धागे (जिसमें हाथ से बुनाई का धागा शामिल नहीं है) से तयार किये गये माल में ऊन अन्तर्वस्तु	3.99 रु० (केवल तीन रुपये और निन्यानवे पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	परन्तु ऊन अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उपर्युक्त दर पर प्रति-अदायगी उस स्थिति में स्वीकार्य होगी जब निर्माता/निर्यातकर्त्ता लदान के समय समाहर्ता के समाधान प्रद रूप से यह घोषणा करे तथा यदि आवश्यक हो तो यह प्रमाणित करे कि धागा वर्स्टेड धागा है ।	

1	2	3
2505	कुछ नहीं ।	
2509	विस्कोज़ तन्तु धागा	0.46 रु० (केवल छियालीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2510	एसीटेट तन्तु धागा	0.48 रु० (केवल अड़तालीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2511	पोलिएमाइड तन्तु धागा	2.77 रु० (केवल दो रुपये सतहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2512	पोलिएस्टर तन्तु धागा	2.62 रु० (केवल दो रुपये बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।

परन्तु यह तब जब उप-क्रम सं० 2509, 2510, 2511 तथा 2512 के अन्तर्गत निर्धारित प्रति अदायगी की दरें, उपयुक्त तन्तु धागे से निर्मित कपड़ों के निर्यात तथा इस प्रकार के तन्तु धागे पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी किये बिना, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के नियम 13 अथवा 14 के अधीन बन्ध पत्र के अधीन किये गये निर्यातों पर भी लागू होगी ।

(ख) उप-क्रम सं० 2512 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

2513	धागा, बलित डोरियां, डोरियां (जिसमें पैराशूट की डोरियां शामिल नहीं हैं) तथा पूर्णतः मानव-निर्मित संश्लिष्ट तन्तु धागे से निर्मित रस्सियां ।	
	(क) पोलिएस्टर तन्तु धागा अन्तर्वस्तु :—	
	(i) 30 डेनियर से नीचे . . .	48.43 रु० (केवल अड़तालीस रुपये तैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3
	(ii) 30 से 74 डेनियर तक का . . .	37.62 रु० (केवल सैंतीस रुपये बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iii) 75 से 99 डेनियर तक का . .	27.62 रु० (केवल सत्ताईस रुपये बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iv) 100 से 750 डेनियर तक का . .	22.62 रु० (केवल बाईस रुपये बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(v) 750 डेनियर से ऊपर का . . .	7.62 रु० (केवल सात रुपये बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ख) पोलिएमांइड तन्तु धागा अन्तर्वस्तु :	
	(i) 30 डेनियर से नीचे . . .	38.88 रु० (केवल अड़तीस रुपये अठासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ii) 30 से 74 डेनियर तक का . .	33.67 रु० (केवल तैंतीस रुपये सड़सठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iii) 75 से 89 डेनियर तक का . .	27.77 रु० (केवल सत्ताईस रुपये सतहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iv) 90 से 149 डेनियर तक का . .	22.77 रु० (केवल बाईस रुपये सतहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(v) 150 से 750 डेनियर तक का . .	10.77 रु० (केवल दस रुपये सतहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(vi) 750 डेनियर से ऊपर . . .	6.77 रु० (केवल छः रुपये सतहत्तर पैसे), प्रति किलोग्राम ।

1	2	3
	(ग) विस्कोज तन्तु धागा अन्तर्वस्तु :—	
	(i) 75 डेनियर से नीचे . . .	11.10 रु० (केवल ग्यारह रुपये दस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ii) 75 डेनियर से 99 डेनियर तक का . .	7.85 रु० (केवल सात रुपये पचासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iii) 100 डेनियर से 119 डेनियर तक का .	5.70 रु० (केवल पांच रुपये सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iv) 120 डेनियर से 149 डेनियर तक का	4.70 रु० (केवल चार रुपये सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(v) 150 डेनियर से 349 डेनियर तक का	3.90 रु० (केवल तीन रुपये नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(vi) 350 डेनियर से 1100 डेनियर तक का	2.95 रु० (केवल दो रुपये पचानवे पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(vii) 1100 डेनियर से उपर . . .	2.45 रु० (केवल दो रुपये पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(घ) एसीटेट तन्तु धागा अन्तर्वस्तु :—	
	(i) यदि धागा 75 डेनियर से नीचे का हो ।	धागा अन्तवस्तु का 10.28 रु० (केवल दस रुपये अट्ठाईस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ii) यदि धागा 75 डेनियर और उससे ऊपर किन्तु 100 डेनियर से नीचे हो . . .	धागा अन्तर्वस्तु का 7.73 रू० (केवल सात रुपिये तिहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3
	(iii) यदि धागा 100 डेनियर और उससे ऊपर किन्तु 120 डेनियर से नीचे हो ।	5.73 रु० (केवल पांच रुपये तिहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(iv) यदि धागा 120 डेनियर और उससे ऊपर किन्तु 150 डेनियर से नीचे हो ।	धागा अन्तर्वस्तु का 3.93 रु० (केवल तीन रुपये तिरानवे पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(v) यदि धागा 150 डेनियर और उससे ऊपर किन्तु 350 डेनियर से नीचे का हो	धागा अन्तर्वस्तु का 3.63 रु० (केवल तीन रुपये तिरेसठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(vi) यदि धागा 350 डेनियर और उससे ऊपर किन्तु 1100 डेनियर से ऊपर का नहीं हो ।	2.98 रु० (केवल दो रुपये अट्ठानवें पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(vii) यदि धागा 1100 डेनियर से ऊपर का हो ।	धागा अन्तर्वस्तु का 2.48 रु० (केवल दो रुपये अड़तालीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	परन्तु धागा अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में ऊपर दी गई दर केवल तब लागू होगी जब कि धागे पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अधायगी समुचित दर पर की जा चुकी हो तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1944 के अधीन उक्त शुल्क में कोई छूट प्राप्त नहीं की गई हो ।	
	(ग) उप-क्रम सं० 2606, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2626 तथा 2627 और उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—	
2606	फब्रिक्स और होजरी जो पूर्णतः, कते हुए धागों से निर्मित हो जिनमें सूत, रेशम, ऊन तथा मानव-निर्मित तन्तु हों परन्तु जिनमें पटसन नहीं हो तथा फैब्रिक और होजरी जहां इस प्रकार का धागा केवल ताना अथवा बाना	उप-क्रम सं० 2503 में उल्लिखित धागा अन्तर्वस्तु, रंजक अन्तर्वस्तु, तथा तन्तु अन्तर्वस्तु

1	2	3
	में या श्रृंगार/सजावट के धागे के रूप में इस्तेमाल किया जाता हो ।	के लिए तथा विनिर्दिष्ट दरें परन्तु यह तब जब कि उनमें दी गई शर्तें पूरी की जाती हों ।
	परन्तु यह तब जब कि उप-क्रम सं० 2503 (क) (vi) (क) में निर्दिष्ट धागे इस्तेमाल किये गये फैब्रिक्स के सम्बन्ध में धागा अन्तर्वस्तु के कारण प्रति अदायगी स्वीकार्य नहीं होगी ।	
2608	रिक्त	
2609	रिक्त	
2610	रिक्त	
2611	रिक्त	
2612	रिक्त	
2613	रिक्त	
2614	रिक्त	
2615	रिक्त	
2616	रिक्त	
2617	रिक्त	
2618	रिक्त	
2619	रिक्त	
2620	संश्लिष्ट मानक-निर्मित तन्तु धागे से पूर्णतः निर्मित फेब्रिक्स और हौजरी अथवा एसी फब्रिक्स और हौजरी जिसमें इस प्रकार का तन्तु धागा केवल ताने अथवा बाने में अथवा दोनों में श्रृंगार अथवा सजावट के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।	उप-क्रम सं० 2513 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए उसमें यथा विनिर्दिष्ट धागा अन्तर्वस्तु के लिए दरें ।
2626	रिक्त	
2627	रिक्त	

1	2	3
	(घ) उप-क्रम सं० 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, और 2721 तथा उनसे प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित सम्बन्धित किया जायगा अर्थात् :—	
2706	बुने हुए कपड़े तथा सूत, रेशम, ऊन और मानव-निर्मित तन्तु से युक्त कते हुए धागों, परन्तु जिनमें पटसन नहीं हो, से पूर्णतः निर्मित अन्य तैयार वस्तुएं तथा बुने हुए कपड़े और अन्य तैयार वस्तुएं जहां इस प्रकार का कता हुआ धागा केवल ताने अथवा बाने में या अलंकरण / सजावट के धागे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ।	उप-क्रम सं० 2503 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए धागा अन्तर्वस्तु, रंजक अन्तर्वस्तु तथा तन्तु अन्तर्वस्तु के लिए उसमें उल्लिखित तथा विनिर्दिष्ट दरें ।
	परन्तु यह तब जब उप-क्रम सं० 2503 (क) (VI) (क) पर विनिर्दिष्ट धागे का इस्तेमाल करने वाली फेब्रिक्स की तैयार वस्तुओं के सम्बन्ध में धागा अन्तर्वस्तु के कारण को प्रति अदायगी स्वीकार्य नहीं होगी	
2707	रिक्त	
2708	रिक्त	
2709	रिक्त	
2710	रिक्त	
2711	रिक्त	
2712	रिक्त	
2713	रिक्त	
2714	रिक्त	
2715	रिक्त	
2716	रिक्त	
2717	रिक्त	
2718	रिक्त	
2719	रिक्त	
2720	रिक्त	

1	2	3
2721	संश्लिष्ट मानव-निर्मित तन्तु धागे से पूर्णतः निर्मित बुने हुए कपड़े तथा अन्य तैयार वस्तुएं (जिनमें मछली पकड़ने के जाल शामिल नहीं हैं) अथवा बुने हुए कपड़ तथा अन्य तैयार वस्तुएं जबकि इस प्रकार के तन्तु धाग केवल ताने अथवा बाने अथवा दोनों, में या अलंकरण अथवा सजावट के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किये जाते हों।	उप-क्रम सं० 2513 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए उसके सामने यथा विनिर्दिष्ट धागा अन्तवस्तु के लिए दरें।

NO. DRAWBACK/PN-69/72.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary—dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

After Sub-Serial No. 2420 and the entries relating thereto, the following Sub-Serial No. and the entries shall be inserted, namely:—

S-Sl. No.	Description	Rate of drawback
1	2	3
2421	Articles not elsewhere specified, made of Polythene Coated paper.	Appropriate rate specified against Sub-Serial No. 2407 to 2415 above on paper content plus appropriate rate specified against Sub-Serial No. 1941 on polythene content.
2422	Articles not elsewhere specified made of cigarette tissue paper.	Rs. 2·10 (Rupees two and ten paise only) per Kg. of cigarette tissue content in product.
2423	Articles not elsewhere specified made of combination of the articles specified at Sub-Serial Nos. 2403 to 2412 and 2421 to 2422 or of paper/paper board mentioned in these Sub-Serial Nos.	Appropriate rates specified against the relevant Sub-Serial Nos. in respect of each type of paper/paper board content.
2424	Paper or paper boards used as packing materials.	At the appropriate rate specified against Sub-Serial No. 2407 to 2415.

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of above goods will stand withdrawn with the coming in the effect of the Public Notice.